संख्या–1282 / 9–आ–1–1 वि0 / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 24 अप्रैल, 2000

विषयः वितथ समाधान योजना–एक बार समाधान (ओ0टी0एस0)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 15 फरवरी, 2000 द्वारा वितथ समाधान योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे और शासनादेश दिनांक 29 / 30 मार्च 2000 द्वारा योजना की अवधि दिनांक 30 अप्रैल, 2000 तक बढ़ायी गयी थी। कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा शासन को यह अवगत कराया गया है कि कुछ परिस्थितियों में इस योजना के अन्तर्गत सामान्य धनराशि से अधिक देयता बन रही है जिससे योजना की सफलता में कठिनाई आ रही है। उक्त परिस्थितियों में योजना के प्राविधानों में पुनर्विचार करने की अपेक्षा की गयी है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में योजना के प्राविधानों पर पुनर्विचार किया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त योजना के सिद्धान्तों में निम्नलिखित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) आवंटन के समय के मूल्य की निर्धारित ब्याज दर पर नैट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) निकाली जाय। इसी प्रकार जितने भी भुगतान विभिन्न तिथियों में किये गये हैं उनकी भी नैट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) निकाली जाय जिसे मूल्य के नैट प्रजेन्ट वैल्यू से घटाने पर वर्तमान में शुद्ध देयता निकलेगी और उसी आधार पर ओ0टी0एस0 किया जाये।

(2) यह सिद्धान्त सभी को उपलब्ध होगा अर्थात नये मामलों के साथ–साथ पुराने मामलों में भी लागू किया जा सकता है किन्तु कोई रिफन्ड देय नहीं होगा।

3. उक्त योजना दिनांक 31.5.2000 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के लिये कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि एकरूपता बनी रहे।

4. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें। इसका व्यापक प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव